न्यायालय – जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, गया

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या -4853/2025

बेलागंज थाना काण्ड संख्या–607/2025

पीठासीन पदाधिकारी– राजेश सिंह

1. सिकंदर कुमार उर्फ सिकंदर यादव, उम्र–28 वर्ष, पिता–रामदीप यादव
2.सरिता देवी, उम्र–26 वर्ष, पति–सिकंदर कुमार उर्फ सिकंदर यादव,
दोनों निवासी ग्राम–धिंधौर विगहा, थाना–बेलागंज, जिला–गया जी

––––अभियुक्तगण

बनाम

बिहार सरकार ––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––अभियोजन

आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता –श्री मिथलेश कुमार वशिष्ठ

अभियोजन की ओरे से विद्वान अपर लोक अभियोजन–श्री बनवारी प्रसाद

13.04.2026 आवेदक /अभियुक्तगण 1.सिकंदर कुमार उर्फ सिकंदर यादव, 2.सरिता देवी की ओर से बेलागंज थाना काण्ड संख्या–607/2025 अन्तर्गत धारा–126(2),115(2),109(1),352,351(2),3(5) बी0एन0एस0 में प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन पर उभय पक्ष को सुना।

आदेश

अभियुक्तों के विद्वान अधिवक्ता का कहना कि आवेदकगण निर्दोष है, उन्हें झूँठे मामला में फंसाया गया है। इन्होनें कोई अपराध कारित नहीं किया है। इसके पूर्व आवेदकगण की ओर से कोई अन्य जमानत आवेदन माननीय उच्च न्यायालय, पटना या अन्य किसी वरीय न्यायालय में संस्थित नहीं किया है। प्राथमिकी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि कथित घटना कपोल–कल्पित एवं मनगढन्त है। इस झूँठे वाद में हम लोगों को गिरफ्तारी की आशंका है। हम लोग समुचित बंध–पत्र देने को तैयार है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि हम लोगों को अग्रिम जमानत देने की कृपा की जाय।

विद्वान अपर लोक अभियोजक उपस्थित हुए। उनका कहना है कि अभियुक्तों को अग्रिम जमानत नहीं दी जाय, क्योंकि इन लोगों ने अजमानतीय अपराध कारित किया है।

अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक/अभियुक्तगण पर आरोप है कि आवेदक दिनांक–22.10.2025 को समय 8 बजे रात्रि में सूचक के ही गांव के शैलेश कमार, अखिलेश कमार, सिकंदर यादव नशे में गाली दे रहे थे। जब सूचक ने गाली देने से मना किया तो अभियुक्तगण ने फैट–मुक्का, लोहे के रॉड से मारा, जिससे पीठ में चोट आयी। जब हल्ला किये तो सरिता देवी, मनोज यादव, रविन्द्र यादव आकर लाठी–डंडा से मारने लगे। शैलेश कुमार ने लोहे के रॉड

न्यायालय – जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, गया

<u>अग्रिम जमानत आवेदन संख्या -4853/2025</u>

से ब्रजलेश यादव के सर पर मारा जिससे सर फट गया और खून बहने लगा। अखिलेश यादव ने लाठी से सूचक की पत्नी लालमुनिया देवी को बायां हाथ पर मारा जिससे सुजन आ गया। अभियुक्तों ने भी बेलागंज थाना कांड संख्या–608/2025 दिनांक–21.10.2025 को इस कांड के सूचक एवं अन्य के विरूद्ध दायर किया है। उपर्युक्त तथ्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि उभय पक्षों में मारपीट हुयी है। जख्मी व्यक्तियों को कारित उपहति साधारण प्रकृति की है। इसलिये इनके अग्रिम जमानत आवेदन को स्वीकृत किया जाता है। तद्नुसार इस आदेश प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों के अन्दर अभियुक्त द्वारा निम्न न्यायालय में आत्मसमर्पण करने या पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने पर उन्हें 10,000/–रुपये के दो समान राशि के जमानतदारों द्वारा बंध–पत्र दाखिल करने पर धारा –482(2) बी0एन0एस0एस0 का अनुपालन करने पर अग्रिम जमानत पर मुक्त किये जाने आदेश दिया जाता है।

लेखापित
Sd/-
राजेश सिंह
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश– III,
गया

न्यायालय – जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, गया

<u>अग्रिम जमानत आवेदन संख्या **-4853/2025**</u>